न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, खुर्जा जिला बुलन्दशहर।

द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-- 22 सन् 2026

UPBU130000982026

अजीम उम्र करीब 36 वर्ष पुत्र अय्यूब, निवासी-खीरखानी, थाना-खुर्जा नगर, जिला-बुलन्दशहर। ।

----------**आवेदक/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

----------**अभियोजन।**

दिनांक: 14.08.2026

आवेदक/अभियुक्त अजीम पुत्र अय्यूब की ओर से मु०अ०सं० 604/2015, सत्रवाद संख्या 870/2015, अपराध धारा- 307, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना-खुर्जा नगर, जिला बुलन्दशहर के मामले में जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त दिनांक 11.02.2026 से वारण्ट पर गिरफ्तार होकर न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है।

अभियुक्त की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है, बल्कि वह निर्दोष हैं व उसे झूठा फंसाया गया है। उपरोक्त अपराध में वह पूर्व में दिनांक 23.06.2015 से जमानत पर था। वह उपरोक्त अपराध में जमानत होने के बाद काफी बीमार हो गया था व काफी लम्बे समय तक बीमार रहा था और चलने-फिरने में असमर्थ हो गया था। वह अनपढ़ व मजदूर व्यक्ति है, जिसे उपरोक्त मुकदमे की तारीखों का ज्ञान नहीं हो सका था व सहअभियुक्तगण द्वारा उससे कहा गया था कि हमने मुकदमा समाप्त करा दिया, जिस कारण उसको उपरोक्त सत्रवाद का पता नहीं चल सका था। उसको पार्टीबन्दी की रंजिश के कारण मोहल्ले के मेम्बर आदि लोग कोई सूचना नहीं देते थे और उस पर किसी समन या वारण्ट की कोई तामील नहीं हो सकी थीष जिस कारण उसके उपरोक्त सत्रवाद की कोई जानकारी नहीं हो सकी थी। थाना हाजा की पुलिस उसको दिनांक 10.02.2026 को घर से उठाकर लायी थी और दिनांक 11.02.2026 से वह जिला कारागार बुलन्दशहर में निरूद्ध है। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की और ना ही भविष्य में गलती करेगा व नियत दिनांकों पर माननीय न्यायालय में उपस्थित रहेगा। वह बहुत गरीब व्यक्ति है और उसका कोई पैरोकार नहीं है। इसलिए LADCS अभियुक्त का यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वह न्यायालय की सन्तुष्टि के लिए उचित धनराशि की जमानत दाखिल करने को तैयार है। अभियुक्त की ओर से जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अभियुक्त जानबूझकर काफी लम्बे समय तक न्यायालय में गैर हाजिर रहा है, जिस कारण से उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट की आदेशिकायें जारी की गयी है। अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण प्रकरण में काफी समय तक विलंब हुआ है और कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी है। अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग

किया गया है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है। अतः अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि अभियुक्त के काफी लम्बे समय तक लगातार न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानती वारण्ट जारी किये गये। अभियुक्त दिनांक 01.08.2016 से गैर हाजिर है। उसके विरूद्ध समय व बी.डब्लू. जारी किये गये व दिनांक 04.03.2017 से एन०बी०डब्लू० जारी है। जमानतदारों को नोटिस जारी किए गए व दिनांक 21.09.2019 को बंधपत्र जब्त किया गया। अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था। पत्रावली के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि अभियुक्त अजीम की लगातार अनुपस्थित के कारण उसके विरूद्ध दिनांक 15.10.2024 को धारा 82 दं०प्र०सं० व धारा 83 दं०प्र०सं० की प्रक्रियायें जारी की गई और जमानतदारों को नोटिस प्रेषित किये गये, फिर भी अभियुक्त अजीम न्यायालय में उपस्थित नहीं आया अभियुक्त का कथन है कि जमानत होने के बाद काफी बीमार हो गया था व काफी लम्बे समय तक बीमार रहा था और चलने-फिरने में असमर्थ हो गया था। वह अनपढ़ व मजदूर व्यक्ति है, जिसे उपरोक्त मुकदमे की तारीखों का ज्ञान नहीं हो सका था व सहअभियुक्तगण द्वारा उससे कहा गया था कि हमने मुकदमा समाप्त करा दिया, जिस कारण उसको उपरोक्त सत्रवाद का पता नहीं चल सका था। उसको पार्टीबन्दी की रंजिश के कारण मोहल्ले के मेम्बर आदि लोग कोई सूचना नहीं देते थे और उस पर किसी समन या वारण्ट की कोई तामील नहीं हो सकी थीष जिस कारण उसके उपरोक्त सत्रवाद की कोई जानकारी नहीं हो सकी थी। उसने जानबूझकर कोई गलती नहीं की है। वह भविष्य में हाजिर अदालत आता रहेगा। थाने की आख्या के अनुसार अभियुक्त अजीम के फरार होने की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। मामला विचारण के स्तर पर लम्बित है।अभियुक्त दिनांक 11.02.2026 से एन०बी०डब्लू० पर जेल में निरूद्ध है। अतः न्यायहित में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त अजीम द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र रूपये 75,000/- (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधपत्र एवं समान धनराशि के दो स्थानीय प्रतिभू दाखिल करने एवं न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2019 को जब्त हुए बंधपत्र की धनराशि जमा करने पर इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाता है कि-

1. वह प्रत्येक नियत तिथि को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहेगा।
2. वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा।
3. वह अपना मोबाइल नम्बर एवं अपने स्थायी पते का आधार कार्ड भी प्रस्तुत करेगा।

दिनांक: 14.08.2026

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुर्जा (बुलन्दशहर)
J.O. Code- U.P.-1674

Steno Mohd Afsan

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2026.08.14 17:08:55 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court